

>

Title: * Discussion on the motion for consideration of the Prevention of Cruelty to Animals (Amendment) Bill, 2009 (Amendment of section 11 etc.) (Bill Withdrawn).

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA (SOUTH GOA): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, be taken into consideration."

India is a vast country with so many languages, so many castes and so many religions. Every community, every caste has its own festivals and has its own culture. From times immemorial, in Goa, whenever there is a local feast, at about 3 o'clock in the afternoon, there will be a bull or a buffalo fight, followed by football game. Though Goa is a small State, it is very famous for football. It is today one of the world tourist destinations. Much more than the population of the State, there are the visitors. Our population is about 15 lakhs; about 24 or 25 lakh people visit Goa every year.

Till four years back, there used to be rampant bullfights. Goa is 70 per cent urbanized, and in the vicinity of any town all the villages are urbanized. Say, 20 years back, every household had cattle. Whenever they took cattle for grazing, there the males used to fight and children and all others used to witness. Today, people do not know; if you see children in the cities, some of them do not know even what a male buffalo is. It is because, there are no bullock carts; there are no ploughs. Agriculture is mechanized; you see tractors. So, people today have not seen a bull fight which they used to see in the fields. That is the reason why lovers of animals, who rear these animals, want to establish the champion bull or the champion buffalo. That is the reason why they conduct the bullfights. Till four years back, bullfights and buffalo fights used to be very rampant; till somebody, some citizens, who are so-called lovers of animals, filed a PIL in the court. Based on the Cruelty to Animals Act, 1960, the court gave a verdict that bullfights or buffalo fights have to be stopped. Not that they have been stopped; even now you go in the villages; earlier they used to do it openly at 3 o'clock or four o'clock; today they have them at 7 o'clock in the morning or at 6 o'clock in the morning. Suddenly people come to know that there is a bullfight; you will see two thousand or three thousand people there. They gather to see the bullfight. Then finally for all these things that are done clandestinely, let us not forget that we have to grease somebody's palm. Some authority you have to catch hold; then it is nothing.

Actually as I said earlier, the people who rear these animals, care more these animals than their own children and family members. Now we say this fight is a cruelty to animals. Buffalo and bulls that are tied to a cart, is it not a cruelty? Buffaloes and bulls that are tied to a plough and whole day, morning and evening, they are used to plough the fields; is that not cruelty? If you go to see after all that, they are not even fed properly.

If you see these bulls and buffaloes that are reared and taken for a fight, they are fed so well. Everyday in the morning, two or three people take them for a walk and make them run. Then what is it? It is not a fight; actually it is only butting. They bang their heads. I am not very fond of this. I also come from the coastal belt. People in the coastal belt love this fight. In my lifetime I have never heard a buffalo or a bull having died when they are fighting.

We call it a sport. That is how it was going on. Now it has been stopped. Let us see human beings. Three years back, when Dempo was playing against Mohun Bagan in Bangalore, Barreto scored both the goals; after scoring the second goal he dashed against the goalkeeper, and he died on the spot. So many humans, young players, are injured on the playing field.

You see boxing. After the fight is over, many a time they are disfigured. You cannot recognize them. You see kickboxing. You see wrestling. You see Karate and WWF. People know that these are dangerous. Yet, people compete. Parents allow their children because they want to establish who the champion is.

Let us see the animal kingdom. We have heard of the word 'lone elephant'. What is the meaning of 'lone elephant'? In animal kingdom, you have a leader of every herd, a small group; in the ward he is the in-charge. How is it established? It is not from his looks; it is not established on his height, on his colour. It is established on his strength. He who wins becomes the head of the herd. He protects the herd. What is the Charles Darwin's theory? Struggle for existence and survival of the fittest! The teachers in those days used to give the examples of dogs in August. Many male dogs go after female dogs. Who procreates finally? It is the one who is the strongest. So, you get the progeny of the one who is the strongest. The same is the case with elephants. The head of the herd is the one who procreates. When a newcomer comes, who is as strong or stronger than the current one, when he is defeated he runs away from the herd destroying everything that comes on his way. That is the reason they say that he is as dangerous as a lone elephant.

The same is the case with tigers. The same is the case with other animals. So, why should we think that just butting

or bullfighting is cruelty to animals? In fact, in my Bill I have mentioned that when the fight goes on, if there is blood oozing out – because after all they got horns – the fight should be stopped. There should be a veterinary doctor. In addition, they should take the permission of the District authority.

In the case of animals they cannot go themselves and fight to see who the champion is. The animals have to be taken by the owner. That is the reason why I would request my hon. colleagues that this particular amendment should be made allowing them to fight as part of the sport. In fact, it is an honour for bulls and buffalos that they are being equated with humans. We are trying to establish who is the champions amongst them. It is not a dishonour and it is not a cruelty. In fact, if this is allowed in Goa – I have already said that it should be like a football arena, there should be a small place because many a time, when these youngsters fight, they go very close. In butting whichever animal loses, he runs away; and when he runs away, he goes helter-skelter. Anyone who is on the way can be destroyed. That is why there should be arena so that in a particular direction they can run up.

So, my dear colleagues, I seek your support that this is not a cruelty. On the other hand it is a part of sport where a champion bull can be established. He can be taken from one part to the other. Sometimes we see that just by a touch, it runs away. While the people come in hundreds to see the fight, it does not remain even for one or two minutes. But then, when you have two bulls who are partly champions here and there, you can be sure that this fight would remain for half-an-hour, for one hour like boxing.

The other day I saw one photograph in Assam of two buffalos fighting each other. There somebody asked me: "When it can happen here, why is it not happening in Goa?" I told him that because somebody had gone to court and that is why it has stopped in Goa.

Therefore, I want to sort of drive at in the minds of the animal lovers who say that it is cruelty. It is not a cruelty. I only hope, the same thing will ignite a little love in their heart; they have the same love for humans who live like animals. Saying this, I would request my colleagues to support this Bill so that whatever is done clandestinely, is done openly in love of sports.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): The same thing should happen in the elections also. Let all the candidates have a fight. Whosoever wins, should be declared elected...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

"That the Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960, be taken into consideration."

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): पर मैं बिल का विरोध करता हूँ। मुझे कब विरोध करना है? ...(*व्यवधान*)

श्री हुवमदेव नारायण यादव (मधुबनी): सभापति जी, जो विधेयक सदन के सामने गैर सरकारी सदस्य ने विचार के लिए रखा है, वह बहुत ही एकांगी है। हम जब पशु कूरता निवारण विधेयक पर चर्चा करें तो सम्भूता में इस पर चिन्तन करना चाहिए। पशु केवल पशु नहीं हैं। भारतीय कृषि का मुख्य आधार पशु हैं। चूँकि मैं पशुपालक गोपाल हूँ, मेरा जन्म परमात्मा ने उसी वंश में किया, मेरी उपाधि भी बन गई गोपाल, और जाति भी बन गई ग्वाला - गाय पालने वाला। इस हिन्दुस्तान में जैसे वर्ण व्यवस्था बनी - ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्र, उसी तरह पशुओं को भी उसी श्रेणी में रखा गया। हाथी, घोड़ा पालने वाले समाज के समृद्ध संपन्न और सामंत लोग थे। गाय, भैंस और ऊँट पालने वाले मध्यम श्रेणी के किसान थे। भेड़, बकरी, गधा और खच्चर पालने वाले दलित और अनुसूचित वर्ग के लोग थे। जो समाज के अंदर व्यवस्था बनी, भारत सरकार के आंकड़ों को निकालकर देखा जाए, मैं जब कृषि मंत्रालय में मंत्री था तो इस पर सामाजिक विश्लेषण करता था। उसके आंकड़ों को निकालकर देखा जाए तो भेड़, बकरी, गधा, ऊँट और खच्चर पालने वालों में 90-95 प्रतिशत अनुसूचित जाति, दलित और अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं जो सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से समाज में कमज़ोर हैं। जो बीच की संपन्न जातियाँ और पिछड़ी जातियाँ खेती करने वाली हैं, जिनको बिहार में अहीर, जाट, गूजर और कुर्मी कहते हैं, जो खेती करने वाले हैं, उनके पास गाय है, बैल है, भैंस है। जो सामंती थे, ज़मींदार लोग थे, वे तो हाथी घोड़ा रखते थे, बड़ी-बड़ी सवारी करते थे। उनको इन पशुओं से क्या लेना देना।

"जाके पैर न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, क्या दुख जाने दुखिया या दुखिया की माई।" पशुओं के बारे में वही सोच सकता है, जो पशु के साथ जन्मता, बढ़ता और खेलता है। पशु के बीच में शादी करता है और बच्चे पैदा करता है। फिर उनके बच्चे उन पशुओं के बच्चों के साथ खेलते, बढ़ते और पलते हैं। फिर उन पशुओं के बीच में शादी करके एक नयी जिनदगी बनाते हैं। वे उनके बारे में सोचते हैं, पशुओं को कितना प्यार करते हैं। जिसने मनुष्य को प्यार नहीं किया, वह पशु को क्या प्यार करेगा? भारत सरकार के आंकड़े निकाले गए। श्रीमान् बोल रहे थे, आज इतने कत्लगाह बने हैं, क्या उनमें नियम का पालन होता है? हम पशुओं को लड़ाते हैं, उन्हें लड़ा-लड़ा कर झगड़ते हैं और आनन्द लेते हैं। सांड लड़ें, भेड़ें लड़ें, बकरा, तीतर, बटेर लड़े, ...(*व्यवधान*)

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA : Everybody has animals side by side. Even now if we go to some villages, we can see that. It is not that they do not love. They live together.

MR. CHAIRMAN : You had put your point very beautifully. Now, he is expressing his own views.

श्री हुवमदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मैं अपनी बात को किसान होने के नाते इस विधेयक पर चर्चा का लाभ उठाते हुए, व्यापकता में कहना चाहता हूँ। सन् 1951 में जब जनगणना हुई तो इस देश में एक हजार आदमी पर 432 पशु थे। यह भारत सरकार का आंकड़ा है। सन् 2001 की पशु गणना में एक हजार आदमी पर केवल 230 पशु रह गए। इन पशुओं का कुरतापूर्वक वध होता है। हरियाणा और राजस्थान से, आप अब अलग झारखंड में हो गए हैं, मैं उस एरिया में बांग्लादेश की सीमा पर हूँ, जहां उत्तर प्रदेश से पार करके चले जाइए, वहां झुंड के झुंड ऊंट, बैल और गायों को अवैध रूप से बांग्लादेश लेजाकर, इन्हें कत्लगाहों में कटवा कर उनका मांस भेजा जाता है। इधर जो अच्छी नस्ल की गाय, बैल, ऊंट और भैंसें हैं, उन्हें यहां से उठा कर वहां अवैध रूप से भेजा जाता है। अगर पशु कुरता निवारण चाहिए तो हमें चाहिए कि जो अवैध रूप से पशुओं की तरफ से करने वाले और कटवाने वाले हैं, उन्हें रोकने का विधेयक आना चाहिए। विधेयक में उसकी चर्चा होनी चाहिए कि उनके अवैध व्यापार और कत्लगाहों को रोका जाए। इसमें चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि जहां मेला लगता है, पशु जहां बेचे जाते हैं, वहां सघन छायादार वृक्ष हों। उनके लिए पीने का पानी हो, चारे का इंतजाम हो। उन पशुओं को पहले किसान खरीदने जाता था तो वह उसके दांत, जीभ, पैर और उसकी दुम देखता था, तब वह उसे खरीदता था। आज जो काटने वाले हैं, वे पहले उसकी लम्बाई फीते से नापते हैं। हमारे घर के नजदीक एक जगह है, जहां वे पहले फीते से लम्बाई और मोटाई नापते हैं और तब उसकी कीमत लगाने हैं, क्योंकि वे सीधे बांग्लादेश में कटवाने के लिए ले जाते हैं। कत्लगाह बढ़ते गए, मांस का व्यापार, निर्यात बढ़ता गया और अच्छे पशुधन का ह्रास होता गया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूँ कि विधेयक आए तो इस पर व्यापकता से चर्चा करने की बात होनी चाहिए। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि हमारे गुजरात की गीर और साहिवाल, राजस्थान की राठी, आंध्र का अंगोल, केरल में बेचूर, हरियाणा एवं पंजाब की गाय है। हमारे यहां बिहार में लोग कहते हैं कि हरियाणा की बेटी और हरियाणा का बैल, ये दोनों कमाने में, धन को बचाने में, गृह संचालन में भारत में एक नम्बर पर माने जाते हैं। देशी नस्ल क्यों लाते हैं, क्योंकि ये अच्छी गाय है, ये अच्छा बच्चा पैदा करती है। पशुओं को लड़ाना, सांड को सांड से, भैंस को भैंस से, भेड़ से भेड़ को, तीतर और बटेर को लड़ाना, ये बड़े लोगों का काम रहा है, राजघरानों का रहा है। कभी आदमी, आदमी को लड़ाना था, तलवार से जंग करता था। रजिया सुल्ताना पिवट्टर बनी थी, उसमें इस जंग को दिखाया गया था कि तलवार से लड़ो, जो जीतेगा, वह इस लड़की से शादी करेगा। समाज में इसका क्या मतलब है? Survival of the fittest and struggle for existence जो डार्विन ने श्योरी दी थी, भारत में वह श्योरी नहीं है। भारत में वही श्योरी है जो गांधी ने दर्शन दिया। डार्विन का दर्शन, struggle for existence and survival of the fittest, हमारे भारत में नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, Live and let live. जियो और जीने दो। महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, उससे आगे बढ़ो। Live for others, दूसरों के लिए जिन्दा रहना सीखो, तब दुनिया में रह सकोगे, लेकिन जब हम कहते हैं Struggle for existence and survival of the fittest. तब हमें डर लगता है कि कहीं यह बात हमारी सामाजिक व्यवस्था में आ गई, तो कहेगा कि Struggle for existence and survival of the fittest, तब ये दलित, अनुसूचित जाति और अति पिछड़े वर्ग, निर्धन, निर्बल, निरसहाय, निराश्रित, भूखे, प्यासे और नंगे इंसान, जो कमजोर हैं, वे कहां ठहरेंगे, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ फिट्टेस्ट में समाज के सामन्त, समृद्ध, बलशाली, विद्वान और धनवान हैं, वे तो हमें खाकर पचा जाएंगे। अगर हम इस व्यवस्था में आएंगे, तो वे हमें कितने दिन जिन्दा रहने देंगे?

महोदय, हम तो डॉ. भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉ. राम मनोहर लोहिया, पं. दीनदयाल उपाध्याय इन लोगों के आभारी हैं कि इन लोगों ने संविधान के तहत एक ऐसी व्यवस्था दी, जिसके कारण हुकुमदेव नारायण यादव यहां हैं। हमारे साथ बैठे, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, कलैक्टर थे और इनकी कोई गलती नहीं थी, इलेक्शन कमीशन ने इन्हें हटा दिया। भगवान उनका भला करे। मुनिश्राप न दीन्हा, अतिभल कीन्हा, परम अनुग्रह माना। इलेक्शन कमीशन ने इनकी कलैक्टरी छीन ली, तो ये सांसद बन कर यहां आ गए और अब इन्हें कई कलैक्टरी के ऊपर शासन करने का अधिकार दे दिया। आज समाज में यही हो रहा है और हम तो भुक्तभोगी हैं। कुमारी शैलजा जी, यहां बैठी हुई हैं। हरियाणा में भी हम रहते हैं और घूमते हैं।

सभापति महोदय : श्री हुकुमदेव नारायण जी, आप विधेयक पर बोलिए।

श्री हुवमदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। पशु कुरता निवारण अधिनियम, 1960 में संशोधन करने के लिए जो प्रस्ताव दिया गया है, इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिल सीमित है, एकांगी है। इसलिए इसे पूर्णता में लाकर एक विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसमें इन सारी बातों की चर्चा हो और उस पर सरकार का जवाब हो। सरकार की तरफ से यह आए, तब जाकर कुछ अच्छा निष्कर्ष निकल सकता है। जो विधेयक सरकार की ओर से आए, वह सर्वांगीण हो, समग्रता में हो, पूर्णता में हो और उससे समग्र पशुधन और पशु-पालन करने वाले, दोनों के लिए कुछ निकलने वाला हो, तभी उस विधेयक का महत्व है, नहीं, तो छोटे संशोधन से, केवल एकांगी संशोधन से और छोटी-मोटी सामाजिक बात को इसमें जोड़ने से कोई लाभ निकलने वाला नहीं है। इसलिए यह विधेयक सरकार की ओर से पूर्णता में आए और पूर्ण रूप से सरकार उस पर विचार कर के कोई संशोधन करे और जिन बातों की मैंने चर्चा की है, उन पर ध्यान दे, तभी हमारे सामाजिक उत्थान के साथ-साथ पशुधन का भी विकास होगा।

श्री जयराम रमेश : सभापति महोदय, क्या इस विधेयक का उत्तर मुझे आज ही देना पड़ेगा?

सभापति महोदय : अभी कुछ मੈम्बर और बोलेंगे। सम्भव है कि आपको आज ही जवाब देना पड़े।

श्री जयराम रमेश : मैं आज ही जवाब देना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): सभापति महोदय, श्री फ्रांसिस्को सारदीना द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2009 (धारा 11 का संशोधन, आदि) इस सदन में विचार के लिए लाया गया है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। बहुत विस्तार से सभी बातें अभी श्री सारदीना साहब ने और माननीय हुकुमदेव नारायण यादव जी ने बताईं। श्री हुकुमदेव नारायण जी तो ऐसे बोल रहे थे, जैसे गोवध पर चर्चा हो रही है। उनके ऊपर थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी का असर है। वे हिन्दू सेंटीमेंट्स को लेकर बोलते हैं।

महोदय, जहां तक पशुओं पर क्रूरता की बात है, हर पशु, खासकर जो पालतू होता है, उसमें मानवीय दृष्टिकोण से एक मानवता छिपी होती है और वह परिवार का एक अंग भी होता है। बहुत से लोग कुत्ते पालते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट आदि अनेक प्रकार के जानवर पाले जाते हैं। खासकर किसान इन्हें ज्यादा पालते हैं। इस प्रकार के बहुत से जानवर तथा पशु-पक्षी हैं। नाम लेने लगूं, तो बहुत बड़ी संख्या ऐसे जानवरों और पशु-पक्षियों की होगी, जो किसानों द्वारा पाले जाते हैं। उनका बहुत अच्छा वलासीफिकेशन अभी श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी ने किया था। जब हुकुमदेव नारायण जी बात कर रहे थे, तब मुझे अंग्रेजों की याद आ गई कि डिवाइड एंड रूल।

17.00 hrs.

इनको लड़ाओ और राज करो, जिसका इन्डायरेक्ट वे में सम्बन्ध है, लेकिन जहां तक फ्रांसिस्को सरदिन्हा जी ने बात कही कि हमारे गोवा में यह होता है, खासकर उन्होंने गोवा स्टेट की बात कही कि वहां पर सांडों और भैंसों की लड़ाई होती है। गोवा तो अपने आप में वैसे ही एक पर्यटक स्थल है, वहां पर्यटक जाते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि वहां केवल 15 लाख की आबादी है, लेकिन वहां पर प्रतिवर्ष करीब 25-30 लाख देसी-विदेशी सभी पर्यटक जाते हैं। कहीं न कहीं उनको इस खेल में क्रूरता लगी।

खासकर अगर जंगल में या मनुष्य की अनदेखी में, मानव की अनदेखी में कहीं अगर पशु लड़ते हैं तो वह दूसरी बात होती है। जैसा अभी कहा गया कि अपने झुंड में केवल लीडर और सरदार बनने के लिए जो बलवान पशु-पक्षी होते हैं, वे लड़ाई करते हैं। लेकिन जहां तक इस विधेयक की बात है, अगर किसी मानव द्वारा प्रायोजित और नियोजित तरीके से पशुओं को नुमाइश करके लड़ाया जाये तो वह एक तरीके से क्रूरता होती है।

यह हमने भी देखा है, जैसा अभी तमाम सम्मानित सदस्यों ने कहा कि चाहे वह सांड की लड़ाई हो, भैंस की लड़ाई हो या देखा जाये तो नेवले और सर्प की लड़ाई भी मदायी दिखाते हैं, एक चिड़िया बुलबुल होती है, बुलबुल की लड़ाई भी लोग कराते हैं। लोग कबूतर भी उड़ाते हैं, जो बहुत देर के बाद नीचे उतरे तो वह फर्स्ट आता है। उसमें बहुत से लोग गैम्बलिंग करते हैं, जुआ भी खेलते हैं। इसी प्रकार से भेड़ को लड़ाते हैं, मुर्गों को लड़ाते हैं, हमारे यहां तीतर की भी लड़ाई होती है और उसमें लोग गैम्बलिंग भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं। ...**(व्यवधान)** मंत्री जी कह रहे हैं कि असली बात वही है। खैर, आपके विभाग से जुड़ा हुआ यह सवाल है, आप अच्छी तरह से जानते हैं।

इस लड़ाई में पशु-पक्षियों का शारीरिक हनन भी होता है। कभी-कभी तो उनका ब्लड भी निकलता है और वे घायल भी हो जाते हैं। कभी-कभी उनकी इतनी टूट-फूट हो जाती है, उनके इतने अंग टूट जाते हैं कि उनका सर्वाइवल भी नहीं हो पाता है। वहीं पर उनका द्रस हो जाता है, वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इस पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा।

जहां तक अभी बात कही गई है, मैं तो यह भी कहूंगा कि मानव के समान पशुओं को भी मानवता दें और उनको समाज में मान्यता दें। समाज को उनकी रक्षा करनी चाहिए।...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, आप फ्रांसिस्को सरदिन्हा जी के इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : हम मिली-जुली दोनों बातें कह रहे हैं। हम समर्थन भी कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। हमें मंत्री जी का भी ख्याल रखना है और फ्रांसिस्को सरदिन्हा जी का भी ख्याल रखना है। कोई भी विधेयक हो, जैसे यह विधेयक है, इसमें मानवता छिपी हुई है। इसमें क्रूरता भी है, मानवता भी है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। चूंकि अगर विस्तार में जायें तो मानवता पर अलग आदमी विचार रख सकता है और क्रूरता पर ज्यादा विचार रख सकता है, लेकिन मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। इस पर अगर अलग से विचार कीजिए तो जो मानव होता है, वह भी लड़ता है, जैसा अभी कहा गया कि फुटबाल में और क्रिकेट में भी लोग मरे हैं। क्रिकेट के खेल के दौरान भी लोग मरे हैं, फुटबाल में भी मरे हैं। इसी तरह से बॉक्सिंग में आपने देखा होगा कि बिल्कुल खून-खत्तर हो जाता है। हम लोग टी.वी. पर रैसलिंग देखते हैं, डब्लू.डब्लू.ई. टी.वी. पर देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि उसमें बहुत क्रूरता होती है। ये तमाम बातें हैं, मैं इनके बहुत विस्तार में न जाकर केवल फ्रांसिस्को सरदिन्हा जी के विधेयक पर बल देता हूँ। मैं यह भी कोशिश करूंगा कि माननीय मंत्री जी की जो मनोभावना है, इसको भी मानवता के अनुरूप देखा जाये।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदय : श्री अर्जुन राम मेघवाल।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अगर आप कहें तो मैं यहीं से बोल लूँ।

सभापति महोदय : अगर आप चाहें तो और आगे आ सकते हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, पशु क्रूरता अधिनियम, 1960 में जो संशोधन माननीय सदस्य फ्रांसिस्को द्वारा लाया गया है, उसके संबंध में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जो संशोधन इन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल की तरह पेश किया है, यह गोवा के लिए तो उचित हो सकता है, लेकिन एरिया स्पेसिफिक को ध्यान में रखकर इस

पर विचार करना चाहिए। फिर भी इस बिल में कुछ ऐसी बातें हैं, जो कभी-कभी हमें कचोटती हैं कि पशु कूरता अधिनियम में कुछ संशोधन होना चाहिए। हमारे प्रदेश राजस्थान में शेखावती क्षेत्र है, वहां चुरू, झुंझनू, सीकर जिला आता है। वहां एक केस चला और वह हमारे पास भी आया। गधारेड़ी वहां लोगों के ट्रंसपोर्टेशन का काम करती है। वे कोई ट्रंसफर हो गया तो उसका सामान, बक्सा, आलमारी आदि को इधर-उधर ले जाने का काम करते हैं। किसी की चीनी की बोरी है, गेहूं की बोरी है, उनको किसी के घर में ले जाने का काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कूरता निवारण अधिनियम से संबंधित जो समितियां बनी हुयी हैं, उसमें कंप्लेंट की कि गधा ट्रंसपोर्टेशन के काम नहीं आना चाहिए। सारे गधों को बैन कर दिया गया और कहा गया कि आज से आप गधारेड़ी नहीं चलायेंगे। जैसे ही उसे बैन किया तो जो गधारेड़ी चलाने वाली यूनियन थी, उन्होंने आंदोलन कर दिया कि हम खायेंगे क्या? अगर आप गधारेड़ी नहीं चलाने देंगे, तो हम क्या खायेंगे, हमारा अल्टरनेट अरेजमेंट क्या है? आप इसे कैसे बंद कर सकते हैं?

महोदय, पशु कूरता अधिनियम में ये चीजें छूट गयी हैं कि जिनकी अर्निंग का कोई साधन ही नहीं है, उनके लिए क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ अमेंडमेंट पशु कूरता अधिनियम में हो तो भी काम चल सकता है। ऐसे ही मैं नीलगाय का उदाहरण देना चाहता हूं। नीलगाय आजकल खेतों को खराब करती है। हमारे प्रदेश राजस्थान में तो बहुत से एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वे कहते हैं कि नीलगाय को बैन करना चाहिए या नीलगाय को मार देना चाहिए। जैसे ही वह बात आती है, तो जिला लेवल पर जो पशु कूरता अधिनियम के तहत समितियां गठित हैं, वे लोग सामने आ जाते हैं कि नहीं, नीलगाय को मारोगे, तो हम पशु कूरता अधिनियम के तहत आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देंगे। इधर जो खेती वाला आदमी है, वह कहता है कि नीलगाय हमारा खेत चर गयी। ...(व्यवधान) वह बाग उजाड़ देती है। महोदय, इसी प्रकार से हिरण हैं। हिरण को खुला छोड़ना चाहिए, यह बात ठीक है। राजस्थान में एक स्थान तालछापर है। मेरे ख्याल से यह देश का पहला अभयारण्य होगा, जहां हिरण बहुत अच्छी संख्या में हैं। नेचुरली ब्रिडिंग का इन्वायर्नमेंट वहां उनको उपलब्ध है। पानी और घास उनको मिले, यह व्यवस्था अभयारण्य में हो। हिरण को खुला नहीं छोड़िए। अगर ये खेत में चले जाएंगे, तो खेत खा जाएंगे। बेचारा हिरण कहां रहेगा? इसलिए पशु कूरता अधिनियम में एरिया स्पेसिफिक अमेंडमेंट होने के लिए कोई कमेटी एरियावाइज जाकर अध्ययन करे और उसके बाद लोगों से राय लेकर और व्यापक रूप से इसमें अमेंडमेंट लायें। यह गोवा में तो ठीक है। यह कह रहे हैं कि हमारे यहां ऐसी कोई कूरता नहीं है। वहां हमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे यहां आपत्ति हो सकती है। यह बिल एकांगी है। इसलिए इसमें जब तक आप एरिया स्पेसिफिक सोच के साथ अमेंडमेंट नहीं लाएंगे, तब तक इसका परपज पूरा नहीं होगा। जैसे हिरण, गाय, भैंस आदि हैं, उनके लिए चेन्नई में जीव-जंतु कल्याण बोर्ड बना हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि जो गौशालायें बनी थीं, वह बीमार पशुओं को रखने का स्थान थीं कि जो बीमार पशु हैं, उनको वहां रखा जाएगा। आजकल गौशालाओं का काम क्या हो गया है? जो दूध देने वाली गाय हैं, उनको तो वे रखते हैं। वह डेरी हो गयी है। इसमें भी सरकार जो अनुदान दे रही है, उसके बारे में सरकार सोचे कि ये डेरियां रखनी हैं या जो बीमार पशु रखने वाली गौशालायें हैं, उनको अनुदान देना है। इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए।

महोदय, मैं इस मौके पर इतना ही कहते हुए दोबारा यह कहना चाहता हूं कि नेचुरल तरीके से पशुओं के वितरण की अनुमति हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एरिया स्पेसिफिक स्टडी करके अगर अमेंडमेंट लाया जाए, तो ज्यादा बेहतर होगा, देशहित में होगा। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

श्री जयगम रमेश : सभापति महोदय, यहां सारदीना साहब के विधेयक पर बुल फाइटिंग के बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन कई वक्ताओं ने बुल फाइटिंग के अलावा और भी कई मुद्दे उठाए हैं। हुवमदेव नारायण यादव जी ने एक सामाजिक विश्लेषण किया है। मैं उसमें नहीं पड़ना चाहता। लेकिन मेघवाल जी ने जो सवाल उठाए हैं, उनके बारे में मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूं और बाद में सारदीना साहब के विधेयक पर चर्चा करूंगा। मेघवाल जी ने नीलगाय और ताल चापर के ब्लैक बक के बारे में जिक्र किया है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नीलगाय की समस्या बड़ी गंभीर है। पिछले दो-तीन महीने में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून में हमारी एक संस्था है, उसके माध्यम से मैंने कहा है कि इन पांच-छः राज्यों में जिस ढंग से नीलगाय के कारण किसानों पर बुरा असर हो रहा है, उस पर आप जल्द से जल्द थोड़ा अध्ययन कीजिए और मुझे सुझाव दीजिए कि हमें क्या करना है। मुझे यह रिपोर्ट दिसम्बर के अंत तक आने की पूरी उम्मीद है। मैं मेघवाल जी को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि जब मुझे यह रिपोर्ट पेश की जाएगी, मैं जरूर एक बैठक बुलाऊंगा। जो सांसद इस बारे में चिंतित हैं, खास तौर से नीलगाय की समस्या से चिंतित हैं, क्या सिफारिशें आई हैं, उनके बारे में मैं उन्हें अवगत करवाऊंगा। हमारे मंत्रालय की ओर से हमें जो कदम उठाने चाहिए, उन्हें हम जरूर उठाएंगे।

मैंने 18 अगस्त को सारे राज्यों के पर्यावरण और वन मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। उस बैठक में कई मंत्रियों ने ब्लैक बक का जिक्र किया था, नीलगाय का जिक्र किया था। मैंने इसी कारणवश वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट को आदेश दिया कि आप इस पर थोड़ा अध्ययन करके आइए और मुझे सुझाव दीजिए कि इस समस्या से निपटने के लिए हम क्या परमानेंट सॉल्यूशन निकालें। यदि देखा जाए, तो अलग-अलग राज्यों में मैन-एनीमल कनफ्लिक्ट बड़ी गंभीर समस्या है। हाल में ही हमारे पूर्व प्रधान मंत्री देवेगौडा जी ने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी कि कर्नाटक के कई जिलों में, खास तौर से हसन जैसे जिले में हाथियों के कारण वहां के किसानों को बहुत कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं। केरल, उड़ीसा, उत्तराखंड, असम जैसे राज्यों में हाथी और टस्कर के कारण भी मैन-एनीमल कनफ्लिक्ट की समस्या आती है। इस पर भी मैंने दो-तीन बैठकें बुलाई हैं। मैं इसमें खुद शामिल हुआ हूं। हमें एक-दो राज्यों में सफलता मिली है। मैं यहां विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि हाथियों की वजह से किसानों को जो समस्याएं आ रही हैं, उनमें हम सफल हुए हैं। लेकिन मैं सदस्यों को जरूर आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि मैं भी चिंतित हूं, मैं जानता हूं कि यह समस्या है। हमारा मंत्रालय सिर्फ कोपेनहेगन पर ही ध्यान नहीं देता बल्कि ज़मीनी समस्याओं पर भी ध्यान देता है। मैं मेघवाल जी को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द इस समस्या से सही ढंग से निपटेंगे।...(व्यवधान)

चौधरी ताल सिंह (उधमपुर): मंत्री जी, बंदरों ने भी बहुत बुरा हाल कर रखा है।...(व्यवधान)

श्री जयगम रमेश : महोदय, मैं बंदरों की समस्या के बारे में भी टिप्पणी करना चाहता हूं। बंदरों की समस्या पार्लियामेंट हाउस के बाहर है, नार्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक के सामने भी है, मेरे मंत्रालय में है, उद्योग भवन में है। दिल्ली में बंदरों की सबसे बड़ी समस्या है। मैंने इस बारे में कई उपाय सोचे हैं। मैंने एक एनजीओ से कहा है। वे इसमें एक्सपर्ट हैं। वे मंकी कैचर्स हैं। वे बंदरों को सही ढंग से पकड़ते हैं। मैंने उन्हें कहा है कि आप कुछ कीजिए। उन्होंने सीमित रूप में कुछ सफलता दिखाई है, लेकिन जिस मात्रा में बंदरों की समस्या बड़ी है, आपको पार्लियामेंट हाउस के सामने ही दिखाई देती है, यह बड़ी गंभीर समस्या है।

अगर मैं कुछ कठोर कदम उठाऊं, तो हमारे हुवमदेव नारायण यादव जी, मेघवाल जी और उनकी पार्टी के बाकी सदस्य उठकर कहेंगे कि मैं भारतीय इतिहास और हिन्दू रीति-रिवाज के खिलाफ काम कर रहा हूं। यह एक संवेदनशील मामला है। इस पर एक आम सहमति होनी चाहिए। मैं इस बारे में जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि बंदर की समस्या से मुझे भी रोज भुगतना पड़ता है। अब मैं अपने बड़े कताकार मित्र श्री सारदीना साहब के बिल पर कुछ कहना चाहता हूं।

Mr. Sardinha has been very eloquent in pleading for the case of bullfighting in Goa. Actually, it is not just bullfighting. There is gambling and there is betting also that goes on with bullfighting. So, when the hon. Member is pleading for bullfighting, I hope he is not pleading for gambling and betting also. You cannot separate the two. Gambling, betting and bullfighting are parts of the same package.

इनको अलग नहीं किया जा सकता। वास्तविकता यह है कि बुल फाइटिंग के नाम पर बैटिंग और गेम्बलिंग चलता है। मैं बैटिंग और गेम्बलिंग के बिल्कुल खिलाफ हूँ, न केवल मंत्री होने के नाते बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरी पहली आपत्ति यह है कि हम बैटिंग, गैम्बलिंग और बुल फाइटिंग को अलग नहीं कर सकते।

My second objection to Mr. Sardinha's argument is this. He has said, "You allow bullfighting but bring veterinary doctors, bring the District Magistrate". He did not say, "Allow bullfighting in front of hospitals". The fact that veterinary doctors would be present means that he accepts the fact that animals will be hurt as part of the bullfighting. I would not say it is a bull-headed argument but I would say it is not a right argument to give. If we accept the fact that bullfighting should be allowed under certain conditions, which the hon. Member has said, it means that he is accepting that bullfighting is a risky proposition.

Bullfighting has a long history, not only in Goa but in Tamil Nadu and all over the world. We have found that sometimes bullfighting also leads to human fighting. The passion and the excitement that the bullfighting generates lead to a lot of human fighting as well. The fact that the hon. Member himself is accepting that bullfighting could be risky is another reason why this Bill should not be accepted.

There is a legislative history to this. Mr. Sardinha and his friends - I am not saying Mr. Sardinha himself but people like him - approached the High Court. The High Court gave a decision. They went to the Supreme Court. The Supreme Court also rejected their petition and upheld the decision of the High Court. The decision of the High Court was clear and categorical. It was, if I recall right, given in the year 1996. The appeal in the Supreme Court was dismissed on the 27th of January, 1997.

The High Court had given a large number of reasons which the hon. Member is fully aware of. I do not want to take the time of the hon. House but what the High Court said was that there is ample evidence to show that there is cruelty to animals because human beings delight in cruelty to other. Not Mr. Sardinha, who is a very dignified gentleman but people in general when they get into a situation where fights are taking place, passions are aroused, it is very difficult to control the human behaviour. So, the judgement of the High Court was clear and categorical. The Supreme Court dismissed the Special Leave Petition and basically the High Court said that there is a violation of this 1960 Act. I want to give a little bit of legislative history to this Act, which I do not think many Members would be aware of.

When the Rajya Sabha was constituted, Shri Hukmadeo Narayan Yadav mentioned to Dr. Ambedkar, one of the founding fathers of our Constitution and the principal architect of our Constitution and there were many others – Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Maulana Azad, Rajendra Prasad, all of them said that we must have in the House of the Elders, the Rajya Sabha, the provision to have nominated Members so that people who are distinguished in different walks of life come as Members, who do not belong to any political party and who can bring independent professional expertise.

One of the first nominated Members to the Rajya Sabha was a very distinguished lady called Rukmini Devi Arundale, who today is a forgotten name but Rukmini Devi was a person who revolutionised Bharat Natyam dance in this country. Rukmini Devi was the lady who Mr. Morarji Desai wanted to make the President of India when the Janata Party was in power. Rukmini Devi gave a speech in the Rajya Sabha. I forgot the exact date. I think, it was in 1955 or 1956. She gave a speech on animal cruelty. The Prime Minister of India heard that speech. He was in tears. He went up to Rukmini Devi and congratulated her and the result of that speech of Rukmini Devi was the constitution of the Animal Welfare Board and this Act, the Prevention of Cruelty to Animals. This must be one of the few Acts in India, which is a result of the intervention of a nominated Member of the Rajya Sabha. It had got a long history, I recounted this history – कभी-कभी हमें इतिहास को भी याद करना चाहिए। इस पर बहुत बहस हुई थी और जैसा यादव जी ने कहा हमारी संस्कृति में पशु एक इटीगल पार्ट हैं, हम उनको अलग नहीं देखते हैं। हालांकि इसका एक नकारात्मक असर भी होता है। इससे मीथेन एमिशन बढ़ती है जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा कैटल आबादी हमारे देश में है और अनप्रोडक्टिव कैटल पापुलेशन भी सबसे ज्यादा है। इसके कारण मीथेन एमिशन भी ज्यादा हो रहा है। यह अलग बात है, कल इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी, मैं आज उस पर आज नहीं जाना चाहता हूँ। I just want to say, much as I like Mr. Sardinha, much I am impressed by his colourful way of dressing and speaking and when he sits on the Chair on which you are sitting, he is very magnificent in his loud, moving voice. I think he is profoundly mistaken in bringing this Bill. I not only have to ask him to withdraw this Bill but I have to actually take the painful step of opposing this Bill. I am conscious of local tradition. I am conscious that there are parts of India where bull fighting has been long accepted as part of tradition. कभी-कभी ट्रिडिशन से भी हटना चाहिए, क्योंकि ट्रिडिशन में सौ प्रतिशत सभी बातें सही नहीं होती हैं। बुल फाइटिंग को मेरे खयाल में और मंत्रालय के खयाल में प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं कि यह कानून का उल्लंघन होगा।

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA (SOUTH GOA): Recently, Goa Assembly has passed this Bill unanimously because

Goa Assembly feels both Opposition and the Treasury that it is in the interest of the State and it is in the interest of the people of the State.

No doubt, I do not beg to disagree with the apprehensions of the hon. Minister. In any fight, there is always betting openly or clandestinely. Let us see big sports like cricket and football. Forget about betting, there has been match fixing. Do we stop these games? Forget about betting. Nobody knows about betting. They are doing betting openly. No doubt, when the so called lovers of animals went to court, it continued for some time till last three to four years. Now the authorities go after them and they have to do it clandestinely or, as I said, by greasing somebody's palms. It is not that it has completely stopped. That is why, they brought that Bill in the House. But this being a central Act, it is pending with the Governor for his consent. That is why, I thought of moving it here. The courts do not make laws. The case lost in the High Court because the High Court interpreted the existing law, namely, Cruelty Act of 1960. They went to the Supreme Court. Again based on the existing Act, it has been thrown out. It is not that the court has made law.

Coming to what the great Rukmani Devi said, I am sure she must have been an intellectual but not a sportswoman, in any sports, leave alone little injury one can even die. I am a sportsman. I am an athlete. For example, in the 800 metres event, after the first round one can just trip and fall down and one can even die. When there is a fight, they are not kissing each other. Since it is a fight, some damage can take place. That is the reason why I have proposed that a veterinary doctor should be there. When they are butting and when their two heads bang against each other, if a little blood oozes out, the fight should be stopped. So, I would only request the hon. Minister that some change should be brought in the total Act which is there. As I said, Goa people are the lovers of animals and they do feed them. I would request for one day – though it is illegal – the hon. Minister to come and see it. He will be shocked that they love them so much. I also hail from the country side. A man from the city will not know this. One of my friends from the Opposition was saying that instead of talking about all these, one should talk about animal slaughter and taking the female buffalos and all that. But in these fights it is the male counterparts who always take part. Till now a sport like boxing has not been stopped. In fact, parents even take their children to learn boxing to become good boxer. In the interest of my State only I would like to request the hon. Minister, if he is not willing to consider this Bill then he may think of modifying the Act to maintain what we call the *parampara*. This is nothing new. This was invoked only because it went through the court, the court had to justify this. The court cannot say that it should be allowed. But our Parliament, or an Assembly can make precautionary provisions and say that this can be allowed. My friends here suggested for a comprehensive Bill in this regard, but till the time a comprehensive Bill in this regard is brought in, the people who are doing it now would have to do it illegally. That is the reason. I am in favour of a comprehensive Bill. Let somebody study this particular thing and may be allowed, so that we do not allow such things to go on illegally and do something legally.

MR. CHAIRMAN : The hon. Minister has gone to the extent of opposing it. Will you kindly withdraw the Bill?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, with due respect to my friend, Shri Sardinha, he has mentioned that the Goa Assembly has passed a unanimous resolution in this regard. But there are bigger and more serious issues involved. There are issues of coastal zone management; there are issues of illegal mining; there are issues of tourists coming and leading to crimes in Goa. My request is that my friends from Goa should worry about those issues and not about bull fighting.

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing Mr. Sardinha?

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA : Sir, before I withdraw my Bill, I would like to partly agree with the hon. Minister. But for all those difficult things to be set right it would take a little time for him to agree to pass this. However, if he does not agree then I have to withdraw.

Sir, I beg to move for leave to withdraw the Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to withdraw the Bill further to amend the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960."

The motion was adopted.

SHRI FRANCISCO COSME SARDINHA : Sir, I withdraw the Bill.
